J.V. JAIN COLLEGE, SAHARANPUR

(NAAC Accredited Minority Educational Institution, College With Potential for Excellence)
Affiliated to Maa Shakumbhari University, Saharanpur

Estd. 1955

Ph. No. - 09456004915

पत्रांक :– का0अ0/87-96 /2022–23

दिनांक :– 25.04.2023

सेवा में

कुलसचिव
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय
सहारनपुर

संदर्भः– आपका पत्रांक 90/101/एके0/एम0एस0यू0/2023–24 दिनांक 24.04.2023

विषयः– विधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों के प्रवेश निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपको अवगत कराना है कि अधोहस्ताक्षरी भी महाविद्यालय का पक्ष रखने हेतु दिनांक 20,04.2023 को आहूत प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक में उपस्थित हुआ था। उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत 09 एवं विश्वविद्यालय कोटे के अन्तर्गत 03 सीटों पर प्रवेश हेतु निर्गत पत्रों पर एक ही पत्रांक दिये गये है, जो कि पूर्णतः असत्य है। छात्रों को ओपन मेरिट हेतु ऑफर लैटर जमा कराते हुए अत्यल्प समय प्रदान करने का कथन किया गया है, इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त अन्तिम वरीयता सूची निर्गत करने से पूर्व निर्गत समस्त वरीयता सूची में उक्त प्रकार से ही समय प्रदत्त करते हुए प्रवेश सम्पादित किये गये है तथा उक्त समस्त वरीयता सूची एवं सम्बन्धित पत्र महाविद्यालय की वेबसाईट एवं समस्त नोटिस बोर्ड पर तत्काल अपलोड एवं चस्पा करा दिये जाते है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवगत कराया था कि समस्त पत्र वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के पश्चात् ही प्रवेश सम्पादित किये गये है परन्तु प्रवेश समिति ने अधोहस्ताक्षरी के उक्त कथन का किंचित भी संज्ञान नहीं लिया है। इसके अतिरिक्त आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि विश्वविद्यालय कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित 03 छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन न करते हुए किये गये है, जो कि पूर्णतः असत्य है। महाविद्यालय की एलएल0बी0 प्रथम वर्ष की प्रवेश समिति द्वारा समस्त पत्रावली जांच समिति के समस्त प्रस्तुत की जा चुकी थी, जिससे स्पष्ट है कि विश्वविद्यालय कोटे के समस्त प्रवेश निर्धारित आरक्षण के नियमों के अनुरूप ही किये गये है। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त बैठक दिनांक 20.04.2023 में यह भी अवगत कराया गया था कि केवल 01 छात्र अरिहन्त जैन का प्रवेश उसी तिथि को इसीलिए किया गया है क्योंकि यह जैन अल्पसंख्यक कोटे का छात्र है तथा वह भारतीय संविधान की धारा 30(1) के अन्तर्गत हमारे अल्पसंख्यक महाविद्यालय का मौलाधिकार है। आपको यह भी अवगत कराना है कि उक्त 09 एवं 03 छात्र/छात्राओं की मेरिट से पूर्व ओपन मेरिट में विश्वविद्यालय की 02 मेरिट के अतिरिक्त 02 ओपन वरीयता सूची निर्गत की गई थी एवं इसी प्रकार अल्पसंख्यक कोट के अन्तर्गत 60 छात्रों की सूची एवं 60

क्रमशः........2

25/4/2023
PRINCIPAL
J.V. JAIN COLLEGE
SAHARANPUR

छात्रों की प्रतीक्षा सूची भी निर्गत की गई थी। इतनी मेरिट के पश्चात् भी कई अभ्यर्थियों ने अपना प्रवेश नहीं लिया तथा तत्पश्चात् महाविद्यालय द्वारा उक्त वर्णित 02 ओपन मेरिट निर्गत की गई। कहने का तात्पर्य है कि समस्त अभ्यर्थियों को समस्त अवसर प्रदत्त करने के पश्चात् ही प्रवेश सम्पादित किये गये। तदुनसार किसी भी अभ्यर्थी का किसी भी प्रकार का कोई अहित होने का प्रश्न ही नहीं है।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि श्री मोहित शर्मा द्वारा प्रस्तुत शिकायती–पत्र पूर्णतः अस्पष्ट है, जिसमें किसी भी प्रकार का यह अंकन नहीं है कि उक्त 12 प्रवेश में किस छात्र का अहित हुआ या प्रभावित हुआ है। अर्थात् श्री मोहित शर्मा की उक्त शिकायत भ्रामक, औचित्यहीन व निरर्थक होने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय स्तर पर ही निरस्त की जानी चाहिए थी।

उपरोक्त के दृष्टिगत यह प्रतीत होता है कि आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र दिनांक 24.04.2023 में जांच समिति द्वारा 12 छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्तीकरण नियमविरूद्ध एवं औचित्यहीन है। उपरोक्त स्पष्टीकरण के पश्चात् भी प्रवेश समिति, माँ शाकुभरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर के निर्णय को महत्ता प्रदान करते हुए एवं आपके उपर्युक्त संदर्भित पत्र का अनुपालन करते हुए महाविद्यालय द्वारा समस्त 12 छात्र/छात्राओं को यह सूचना प्रेषित की जा रही है कि उनके प्रवेश माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर द्वारा निरस्त कर दिये गये है।

धन्यवाद,

भवदीय

25/4/23

(प्रो0 वकुल बंसल)
प्राचार्य
PRINCIPAL
J.V. JAIN COLLEGE
SAHARANPUR

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रति प्रेषित :–

1. परीक्षा नियंत्रक, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
2. सहायक कुलसचिव, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।
3. प्रो0 एम0एम0 फिरोज, समन्वयक, एलएल0बी0 प्रथम वर्ष प्रवेश समिति।
4. प्रो0 मनीषा सैनी, सदस्य, एलएल0बी0 प्रथम वर्ष प्रवेश समिति।
5. डॉ0 हरवीर सिंह चौधरी, छात्र कल्याण अधिष्ठाता, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
6. प्रो0 मनु गुप्ता, परीक्षा प्रभारी, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
7. प्रो0 अशोक कुमार शर्मा, अध्यक्ष, विधि संकाय, जे0वी0 जैन कालिज, सहारनपुर।
8. डॉ0 प्रदीप कुमार जैन, का0 कार्यालय अधीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर के संदर्भित पत्र दिनांक 24.04.2023 के साथ संलग्न कर समस्त नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
9. मिस प्राची जैन, स्टैनो को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर के संदर्भित पत्र दिनांक 24.04.2023 के साथ संलग्न कर महाविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड एवं समस्त 12 छात्र/छात्राओं को एस0एम0एस0 द्वारा तत्काल सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(प्रो0 वकुल बंसल)
प्राचार्य

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 90 / 101/एके0/MSU/2023–24 दिनांकः 24.04.2023

सेवा में,

प्राचार्य
जे0वी0 जैन कॉलेज,
सहारनपुर।

विषय : विधि पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों के प्रवेश निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जैसा कि आप अवगत है कि महाविद्यालय में अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित 09 छात्रों एवं विश्वविद्यालय कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित 03 छात्रों के प्रवेश में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित शर्मा, पूर्व प्रान्त कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय परिषद द्वारा शिकायती पत्र प्रेषित किया गया था। प्रेषित शिकायती पत्र के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय द्वारा जाँच समिति गठित की गई थी। जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत जाँच आख्या प्रवेश समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक : 20.04.2023 में प्रस्तुत की गई। प्रवेश समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निश्चय किया गया कि अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत 09 एवं विश्वविद्यालय कोटे के अन्तर्गत रिक्त 03 सीटों में प्रवेश हेतु निर्गत पत्रों पर एक ही पत्रांक दिये गये है। छात्रों को ओपन मेरिट के अन्तर्गत अपना ऑफर लेटर जमा करने हेतु अत्यल्प समय प्रदान किया गया, फलतः अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत कम छात्रों द्वारा आवेदन किया जा सका। प्रवेश समिति द्वारा किये गये निश्चय के आलोक में अल्पसंख्यक कोटे में प्रवेशित 09 छात्रों जिनका विवरण निम्नवत् है :–

Sr. No.	Form /Reg No	Name	S/O	Category
1	30107398	Arihant Jain	Vipin Kumar Jain	GEN
2	30103908	Shumaila	Hasmat Ali	OBC
3	30107156	Zeba Rana	Mohd Islam Rana	OBC
4	30119545	Shalu	Sheeshpal	SC
5	30108251	Vishal	Omveer	OBC
6	30105986	Ajay Sharma	Satya Prakash Sharma	GEN
7	30105736	Mohd Sakib	Mohd Aleem	OBC
8	30107424	Manish Kumar Mourya	Arvind Mourya	SC
9	30108434	Deepak Kumar	Satish Kumar	SC

एवं विश्वविद्यालय कोटे के अन्तर्गत प्रवेशित 03 छात्रों, जिनके प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन न करते हुये प्रवेश किये गये है (यद्यपि उक्त छात्रों के प्रवेश की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा), निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिनका विवरण निम्नवत् है :–

Sr. No.	Form /Reg No	Name	S/O	Category
1	30100403	Bharat Gupta	Deepak Gupta	GEN
2	30086525	Devensh Gandhi	Rohit Gandhi	GEN
3	30093286	Akshay Kumar	Chaman Lal	SC

अतः प्रवेश समिति द्वारा किये गये निश्चय के आलोक में अल्पसंख्यक कोटे के अन्तर्गत 09 छात्र एवं विश्वविद्यालय कोटे के अन्तर्गत 03 छात्रों का एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में किये गये प्रवेश निरस्त किये जाते है तथा इनके स्थान पर वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कोई प्रवेश नहीं किये जायेगें। यह भी निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार की नोटिस जारी करते समय विषयवस्तु एवं समस्त कार्यक्रम से सम्बन्धित तिथि एवं समय का स्पष्ट उल्लेख किया जाये तथा जनसाधारण के संज्ञानार्थ सूचना प्रकाशित करायी जाये, जिससे कोई भी सम्बन्धित पक्ष सूचना से वंचित न हो।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ :

01. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सहारनपुर/मेरठ मण्डल।
02. परीक्षा नियंत्रक।
03. वित्त अधिकारी।
04. सहायक कुलसचिव।
05. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

कुलसचिव